न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 445 सन 2020

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर (हनुमानगढ) वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन निवासी धानसियाा त
2. कृष्ण कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. अर्चना बिहानी पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर
4. प्रेमलता पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. वन्दना पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. सरस्वती पत्नी चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता चंवरीलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी की पिता चंवरीलाल को देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है जो चंवरीलाल के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है चंवरीलाल के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं मृतक चंवरीलाल पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की माता एवं चंवरीलाल की पत्नि है जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाई /पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने/माता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के नाम से दर्ज है जो चंवरीलाल के देहान्त के वाद जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के नाम से दर्ज से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,जो वादी की बहने एवं चंवरीलाल की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 जो चंवरीलाल की पत्नि एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 की माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जबाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के नाम सें दर्ज है।

वादी की पिता चंवरीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ही है जो चवंरीलाल के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है चंवरीलाल के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं मृतक चंवरीलाल पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की माता एवं चंवरीलाल की पत्नि है जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाई /पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के पिता चंवरीलाल के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की माता ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,8 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637हैक में वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. पवन कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन निवासी धानसियाा त
2. कृष्ण कुमार पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. अर्चना बिहानी पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर
4. प्रेमलता पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. वन्दना पुत्री चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. सरस्वती पत्नी चंवरीलाल जाति महाजन साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 445 सन 2020 निर्णय दिनांक–14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637हैक में वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner